न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 101/19 निर्णय दिनांकः– 16–12–2019
(आरसीएमएस संख्या 2019/00148)

1. बच्ची पुत्री खाण्डूखॉ पत्नि सम्मेखॉ जाति मुसलमान निवासी भुड़किया चक 2 एसएमडी तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।
2. रामकला पत्नी युधिष्ठर बिश्नोई निवासी चक 7 बीडी तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 15–11–1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

उपस्थितः–
1. श्री गिरधारी रामावत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के आदेश दिनांक 15–11–1999 जिसके द्वारा अपीलांट् की माता के नाम टीसी आवंटन को निरस्त किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम सम्मेवाला के खसरा नम्बर 85/3 की 09 बीघा भूमि अपीलांट की माता को बतौर बारानी टीसी आवंटन किया गया था तथा समय समय पर उसका नवीनीकरण भी किया जाता रहा है। उक्त भूमि चकबन्दी में चक 2 एसएमडी के मुरब्बा नम्बर 81/41 के किला नम्बर 17 ता 24 तादादी 08 बीघा व मुरब्बा नम्बर 81/42 के किला नम्बर 1 में 01

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

बीघा इस प्रकार कुल 09 बीघा भूमि का नवीनीकरण किया गया। कालान्तर में चकप्लान में उक्त भूमि चक 5 एसएमडी 'ए' के मुरब्बा नम्बर 81/41 के किला नम्बर 17 ता 24 में 08 बीघा व मुरब्बा नम्बर 81/42 के किला नम्बर 1 में 01 बीघा इस प्रकार कुल 09 बीघा भूमि के रूप में पैमूद हुई।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट की माता का स्वर्गवास होने पर अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष एकमात्र जायज वारिसान होने के आधार पर उक्त भूमि अपीलांट के नाम से टीसी से पुख्ता किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर अपीलांट का इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट बच्ची पत्नी सम्मा के संयुक्त परिवार में नोशनल शेयर में 18 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड, 11 बीघा अनकमाण्ड व 11 बीघा 18 बिस्व बारानी भूमि पूर्व से है। अतः जन्त की वारिस बच्ची पुत्री खाण्डू ग्राम भूड़किया खसरा नम्बर 85/3 हाल चक 2 एसएमडी 'ए' के मुरब्बा नम्बर 81/41 के किला नम्बर 17 ता 24 तादादी 08 बीघा व मुरब्बा नम्बर 81/42 के किला नम्बर 1 में 01 बीघा इस प्रकार कुल 09 बीघा भूमि का नवीनीकरण कराने की पात्र नहीं है। अदालत मातहत का उक्त आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया आदेश है क्योंकि वादग्रस्त भूमि आज दिनांक को भी अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जब भूमि एक बार आवंटित व नियमित की जा चुकी है तो ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का किसी भी स्थिति में अन्य को आवंटन नहीं किया जा सकता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

अदालत मातहत द्वारा एक तरफ तो विधि विरूद्व तरीके से अपीलांट का टीसी से पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जबकि उक्त भूमि पूर्व से ही अपीलांट को आवंटित व आक्यूपाईड लैण्ड है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बाले–बाले रूप से पारित किया गया है। उक्त समस्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते हुए भी आवंटन अधिकारी द्वारा नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित करने में कूननी भूल कारित की गई है।

राजस्व अपील अधिकारी

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बातया कि अपीलांट को वादग्रस्त भूमि राज्य सरकार के आदेश के अनुसरण में नियमित की गई थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार के आदेशों की भी अवहेलना की गई है। आवंटन अधिकारी द्वारा कानून व न्याय को ताक पर रखकर वादगत् भूमि को

रेस्पोडेन्ट को आवंटित करने में कानूनी भूल की है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा की गई कार्यवाही आवंटन नियमों के विपरीत होने से अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज फरमाया जावे।

उन्होंने मियाद के संबंध में बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर बिना अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया आदेश है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2019 पार्ट I पेज 209, आरआरटी 2018 पेज 754 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट का वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है क्योंकि उक्त भूमि अपीलांट को आवंटित व कब्जे काश्त की भूमि नहीं है। अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज होने के उपरान्त ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पति को आवंटित की गई है। अतः अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। अपीलाधीन आदेश के दिन उक्त भूमि से अपीलांट का कोई हक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के नियमितीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट द्वारा निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है व आराजी जैर पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में आवंटन की तमाम प्रकियाएँ पूर्ण हो चुकी है।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपनी माता को टीसी में आवंटित भूमि के पुख्ता आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने पर अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार अपीलांट के धारण की भूमि के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट के धारण में पूर्व से ही नोशनल शेयर में भूमि उपलब्ध होने के कारण अपीलांट का टीसी से पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। राज्य सरकार द्वारा टीसी आवंटन इसी आधार पर किया जाता है कि आवंटी के पास पूर्व से उसके धारण में भूमि नहीं हो तथा ऐसी स्थिति में अस्थाई काश्त हेतु भूमि आवंटित की जाती है। जब अपीलांट के पास पूर्व से ही नोशनल शेयर में भूमि उपलब्ध है तो अपीलांट टीसी से पुख्ता आवंटन की पात्र नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा विधि सम्मत तरीके से

अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट का टीसी से पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने बताया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–11–1999 के विरूद्व अपील दिनांक 21–06–2019 को पेश की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील लोकस स्टेण्डाई व मियांद बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडन्ट संख्या 2 ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2018 पार्ट I पेज 364 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–11–1999 के विरूद्व अपील दिनांक 21–06–2019 को करीब 20 वर्ष उपरान्त पेश की गई है। अपीलार्थी द्वारा मियांद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत दरख्वाश्त में अपील पेश करने में हुए 20 साल के विलम्ब का कारण वादग्रस्त भूमि अपीलांट की माता के नाम से आवंटित होने व अपीलांट एक औरत जात होने के कारण उक्त आदेश की जानकारी नहीं होने का कथन किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से साबित है कि अपीलांटा बच्ची स्वयं द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अपनी माता की टीसी आवंटन को अपने नाम करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश की जानकारी इतने लम्बे समय तक नहीं होने का कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

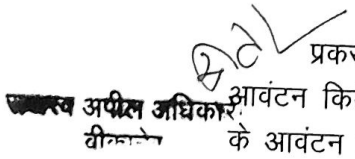

प्रकरण में जहॉ तक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को वादग्रस्त भूमि का आवंटन किये जाने का प्रश्न है, अपीलांटा द्वारा प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेन्ट के आवंटन को चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के संबंध में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करना उचित नहीं पाते है क्योंकि प्रस्तुत अपील में विवाद का बिन्दु अपीलांटा के टीसी से पुख्ता आवंटन को खारिज किये जाने से संबंधित है। इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य तो निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांटा की माता जन्नत को टीसी में वर्ष 1958–59 अर्थात सवंत् 2014–15 में आवंटित थी तथा उक्त भूमि का वर्ष 1980

तक नवीनीकरण भी किया गया था, परन्तु यहॉ यह उल्लेखनीय है कि क्या अपीलांटा बच्ची वादग्रस्त भूमि के टीसी से पुख्ता आवंटन की पात्र है अथवा नहीं?

प्रस्तुत मामलें में अपीलांटा द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बतौर जन्नत की एकमात्र वारिस होने के आधार पर वादग्रस्त भूमि के टीसी से पुख्ता आवंटन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार संबंधित पटवारी से अपीलांटा के धारण की भूमि के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि बच्ची पत्नी सम्मा पुत्री खाण्डू के संयुक्त परिवार में नोशनल शेयर में 18 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड, 11 बीघा अनकमाण्ड व 11 बीघा 18 बिस्व बारानी भूमि पूर्व से है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांटा को टीसी से पुख्ता आवंटन पात्र नहीं मानते हुए अस्थाई आवंटन को निरस्त किया गया है। राज्य सरकार की टीसी आवंटन की मंशा यह है कि जिन काश्तकारों के धारण में काश्त हेतु भूमि नहीं होने पर उन्हें अस्थाई काश्त हेतु भूमि आवंटित की जाती है तथा टीसी आवंटी द्वारा उक्त भूमि पर निरन्तर काश्त करने की स्थिति में उक्त भूमि का समय–समय पर नवीनीकरण व टीसी से पुख्ता की कार्यवाही की जाती है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांटा की माता जन्नत देहान्त वर्ष 1982 में हो चुका था। ऐसी स्थिति में अपनी माता के देहान्त के करीब 17 वर्ष तक अपीलांटा द्वारा वादग्रस्त भूमि के टीसी से पुख्ता आवंटन के संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है ना ही उक्त भूमि का नवीनीकरण ही किया गया।

इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2018 पार्ट I पेज 364 में अभिलिखित किया गया है कि:–

Rajasthan Land Revenue Act, 1956 Sec. 84 r/w 9- Allotment of land for temporary cultivation was cancelled- No renewal of lease after 1988 & expired automatically - No separate order was required - Held no illegality in the order., मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है।

प्रकरण में चूंकि यह तथ्य पटवारी रिपोर्ट से साबित है कि अपीलांटा के पास नोशनल शेयर में पूर्व से ही भूमि उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में अपीलांटा टीसी से पुख्ता आवंटन की पात्र धोषित नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का टीसी से पुख्ता आवंटन को खारिज करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि कारित नहीं की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः अपीलांट की अपील मियांद बाहर होने तथा सारहीन होने के कारण अस्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15—11—1999 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 16—12—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2019.12.27 12:06:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: